

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 390 सन 2022

अनवान :-

1. जयसिंह पुत्र देवीलाल जाति जाट निवारी मलवानी तहसील नोहर ।

वादी

बनाम

1. दर्शनादेवी पत्नी कृष्ण कुमार पुत्री देवीलाल जाति जाट निवारी मलवानी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ़।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :- 16/06/2022

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा चक 3 बरानी के खाता संख्या 188/39 की कुल 3.0360 हैक् भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 सयुक्त तौर से 1/3 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के पिता ने प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज करवाई गई थी वादीया एव प्रतिवादी संख्या 1 दोनो आपस में भाई बहन है प्रतिवादी संख्या 1 जो वादीया का भाई है ने वादीया की शादि में वाद भूमि वादीया के परिवार के भरण पोषण हेतु दी गई थी अर्थात प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने हक हिस्सा की भूमि वादीया के पक्ष में त्याग किया गया था जो वादीया के कब्जा काश्त में चली आ रही है जिसकी आय से प्रतिवादी संख्या 1 की बहन वादीया अपने परिवार का भरण पोषण कर रही है वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादीया के नाम दर्ज नहीं है वादीया अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने की अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादीया का भाई है के नाम से दर्ज भूमि को वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की वाद भूमि उसके पिता ने प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज करवाई गई थी वादीया एव प्रतिवादी संख्या 1 दोनो आपस में भाई बहन है प्रतिवादी संख्या 1 ने वादीया की शादि की समय प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने हक हिस्सा की भूमि को वादीया के परिवार के भरण पोषण के लिये अपने हको का त्याग वादीया के पक्ष में कर दिया था तथा वाद भूमि वादीया के कब्जा काश्त में है वाद भूमि वादीया के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 2 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नहीं है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शून्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 3 बरानी के खाता संख्या 188/39 की कुल 3.0360 हैक् भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 सयुक्त तौर से 1/3 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

इ अधिकारी

वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के पिता ने प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज करवाई गई थी वादीया एव प्रतिवादी संख्या 1 दोनों आपस में भाई बहन है प्रतिवादी संख्या 1 जो वादीया का भाई है ने वादीया की शादि में वाद भूमि वादीया के परिवार के भरण पोषण हेतु दी गई थी अर्थात् प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने हक हिस्सा की भूमि वादीया के पक्ष में त्याग किया गया था जो वादीया के कब्जा काश्त में चली आ रही है जिसकी आय से प्रतिवादी संख्या 1 की बहन वादीया अपने परिवार का भरण पोषण कर रही है वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादीया के नाम दर्ज नहीं है वादीया अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने की अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात् वादी के वाद के सम्बन्ध में कोई ऐतराज नहीं है वादी अपने कथनों के सम्बन्ध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 3 बारानी के खाता संख्या 188/39 की कुल 3.0360 है व भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 सयुक्त तौर से 1/3 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादीया का कथन है कि वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है प्रतिवादी संख्या 1 ने वादीया का शादी के समय वादीया के परिवार के भरण पोषण को ध्यान में रखते हुए अपने हकों का त्याग अपनी बहस वादीया के पक्ष में किया गया था इसलिये वाद भूमि वादीया के कब्जा काश्त में है वादीया प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा त्याग की गई भूमि को अपने नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने की अधिकारी है वादीया के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की उसने अपने हक हिस्सा की भूमि को वादीया की शादी के समय वादीया के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादीया के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादीया के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में इकबाल पेश किया जा चुका है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते हैं के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है

अतः वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नहीं होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 3 बारानी के खाता संख्या 188/39 की कुल 3.0360 है व में से 1/3 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादीया को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 1000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 16/06/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ला दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

1. जयसिंह पुत्र देवीलाल जाति जाट निवासी मलवानी तहसील नोहर ।

वादी

बनाम

1. दर्शनादेवी पत्नी कृष्ण कुमार पुत्री देवीलाल जाति जाट निवासी मलवानी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ ।


प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 390 सन 2022 निर्णय दिनांक- 16/06/2022

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं परोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 3 बरानी के खाता संख्या 188/39 की कुल 3.0360 हैक् में से 1/3 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादीया को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 1000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 16/06/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर